<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226160 CG-DL-E-26032021-226160

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1268]

No. 1268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1372(अ).—केंद्रीय सरकार, समय – समय पर यथा-संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 3 मार्च, 2021 की अधिसूचना का.आ. 1017 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा अधिसूचित करती है कि आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएस कोड 0713 3110, 0713 90 10 और 071390 90 के अंतर्गत उड़द [बीन्स ऑफ द एसपीपी विगना मुंगो (एल.) हेपर] का आयात करने के लिए 4 लाख एमटी का कोटा जिसके लिए आयात नीति "प्रतिबंधित" है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिलर्स/रिफाइनर्स/ट्रेडर्स को आयात की अनुमित दी जाएगी और उनका कोटा अल्गारिद्म आधारित लॉटरी प्रणाली द्वारा आवेदकों की पूर्विनर्धारित संख्या को, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा पृथक से अधिसूचित प्रक्रिया के अनुरूप, समान रूप से आबंटित किया जाएगा।

2. अधिसूचना का प्रभाव: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उड़द के 4 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक कोटा को अधिसूचित किया जाता है और मिलर्स/रिफाइनर्स/ट्रेडर्स द्वारा आयात करने की अनुमित दी जाएगी । इसे अल्गारिद्म आधारित लॉटरी व्यवस्था के माध्यम से आवेदकों की पूर्व निर्धारित संख्या को समान रूप से वितरित किया जाएगा।

[फा.सं. 14/1/2021-ईपी (एग्री- III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

1858 GI/2021 (1)

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 3 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 1017 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

- **S.O.** 1372(E).—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government, in partial modification of Notification S.O. 1017(E) dated 3rd March, 2021, hereby notifies that for the quota of 4 Lakh MT for import of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] under HS Codes 0713 3110, 0713 9010 and 0713 9090 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule I (Import Policy), import policy of which is "Restricted"; for the fiscal year 2021-22, imports will be allowed to the Millers/ Refiners/ Traders and quota will be allocated equally to pre-determined numbers of applicants, through an algorithm based lottery system, as per procedure to be notified separately, by the Directorate General of Foreign Trade.
- 2. **Effect of the Notification**: Annual Quota of 4 Lakh MT of Urad for the fiscal year 2021-22 is notified and will be allowed to be imported by Millers/ Refiners/ Traders. The same will be distributed equally to a pre-determined number of applicants through an algorithm based lottery system.

[F. No. 14/1/2021-EP (Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended vide notification published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. 1017 (E), dated the 3rd March, 2021.